ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्रीमती अंजना देवी	01-04-2021 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री चमन लाल	01-04-2021 से 31-03-2023 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मसौली के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते	0.94

		में अन्तर बारे	
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	59.79
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	2.14
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क न वसूलने बारे	0.10
5	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.18
6	8(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.02
7	9(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.94

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार,कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29-12-2023 से 08-01-2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	03/22	02/22
2022-23	03/22	03/22

(ख) अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹ 5600/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-15 दिनांक 08.01.2023 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत मसौली, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत मसौली, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रौत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	411570.62	349554	761124.62	607163	153961.62
2022-23	153961.62	455658.78	609620.4	427804	181816.4

(ii) **अनुदान :-** ग्राम पंचायत मसौली, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	1800912.5	1500	1802412.5	546382	1256030.5
2022-23	1256030.5	777931	2033961.5	261209	1772752.5

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1954568.90**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State cooperative bank,joginder nagar	31210114589	Own source & 5th state	215123.40
H.P State cooperative bank,joginder nagar	31210119915	BASP,VKVNY & OTHER	1832626.50
			2047749.9

Bank Reconicilation as on 31-03-2023		
Balance as per cash book		**1954568.90**
Balance as per Pass book		**2047749.90**
Net Difference		**93181**

(iii) 14 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत मसौली, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	572083.44	7112	579195.44	165568	413627.44
2022-23	413627.44	11728	425355.44	286026	139329.44

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31 03-23		
Balance as per cash book		139329.44
Balance as per Pass book a/c no. 31210125752		139329.44
Net Difference		**NILL**

(iv) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत मसौली, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	769724	2146029	2915753	0	2915753
2022-23	2915753	2216643	5132396	1065761.3	4066634.7

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	4066634.7		
less: income from grants of Rs 764212 added in cash book on dated 17.02.2022 of but not entered in pass book on dated 17.02.2022	764212		
less:-interest of Rs 5512 taken in cash book on dated 17.02.2023,but not taken in pass book on dated 17.02.2023	5512		
add:- interst of Rs 16228 taken in pass book on dated 01.10.21, but not taken in cash book,interst of Rs 15995 taken in pass book on dated 01.01.22, but not taken in cash book,interst of Rs 17977 taken in pass book on dated 12.07.22, but not taken in cash book,interst of Rs 21127 taken in pass book on dated 01.10.22, but not taken in cash book,interst of Rs 22815 taken in pass book on dated 01.01.23, but not taken in cash book	94142		**3391052.7**
Balance as per Pass book a/c 50100346297410			**3391052.7**
Net Difference			**nill**

(v) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	0	**4810253**	0	**4810253**	**4810253**	0
2022-23	0	**6209359.16**	0	**6209359.16**	**6209359.16**	0

4. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.94 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹93181** की राशि का अन्तर पाया गया। अतः मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

05. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत मसौली के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹59.79 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत मसौली द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक

अनुदान ₹ 59,78,716.64 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii),4(iv)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत मसौली द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹ 2.14 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत मसौली के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹**213900 की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है की पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह रजिस्ट्रेशन फीस ₹0.10 लाख की वसूली न करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 200 प्रति रजिस्ट्रेशन तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से रजिस्ट्रेशन फीस प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत मसौली

द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹ 10800** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	83	nill	आरती सुपुत्री श्री हरदीश	08.04.21	16.04.21	200	nill	200
2	83	nill	तृप्ता देवी सुपुत्री श्री सुरेश कुमार	29.04.21	01.06.21	400	nill	400
3	83	nill	शिवानी सुपुत्री श्री देवराज	08.05.21	02.06.21	200	nill	200
4	83	nill	नेहा चौधरी सुपुत्री श्री ओम प्रकाश	23.05.21	17.06.21	200	nill	200
5	84	nill	अमित सुपुत्र श्री राजकुमार	02.05.21	14.06.21	400	nill	400
6	84	nill	आँचल सुपुत्री श्री देशराज	08.05.21	14.06.21	400	nill	400
7	84	nill	शिप्रा अवस्थी सुपुत्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद	27.04.21	14.06.21	400	nill	400

8	85	nill	शिवानी सुपुत्री श्री जगदीश चंद	30.04.21	21.06.21	400	nill	400
9	85	nill	तमन्ना सुपुत्री श्री महेंसर सिंह	30.04.21	30.06.21	400	nill	400
10	85	nill	प्रीति सुपुत्री श्री रोवन	19.06.21	30.06.21	200	nill	200
11	86	nill	शीतल गुलेरिया सुपुत्री श्री विनोद कुमार	19.06.21	09.07.21	200	nill	200
12	86	nill	निशा सुपुत्री श्री कृष्ण सिंह	28.06.21	15.07.21	200	nill	200
13	86	nill	अजय कुमार सुपुत्र श्री नानक चंद	07.05.21	15.07.21	200	nill	200
14	86	nill	संदीप कुमार सुपुत्र श्री नाग पाल	04.05.21	15.07.21	400	nill	400
15	86	nill	अनिल कुमार सुपुत्र श्री शांति स्वरूप	23.07.21	28.07.21	200	nill	200
16	87	nill	गोपाल कृष्ण सुपुत्र श्री	16.07.21	28.07.21	200	nill	200

			महिंदर सिंह					
17	87	nill	दिव्य शक्ति सुपुत्री श्री विपन कुमार	16.07.21	28,07,21	200	nill	200
18	87	nill	विकास कुमार सुपुत्र श्री दान सिंह	20.09.21	22.09.21	200	nill	200
19	88	nill	मीनाक्षी सुपुत्री श्री हरदेव	07.10.21	21.10.21	200	nill	200
20	88	nill	रुपेन्द्रा सुपुत्री श्री सुरेश कुमार	20.10.21	06.11.21	200	nill	200
21	88	nill	अंजलि सुपुत्री श्री संजु	14.10.21	10.11.21	200	nill	200
22	89	nill	अमृता सुपुत्री श्री हंस राज	07.10.21	06.12.21	400	nill	400
23	89	nill	प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री जोगींद्र चंद	11.11.21	07.12.21	200	nill	200
24	89	nill	शालिका सुपुत्री श्री राम सिंह	01.12.21	09.12.21	200	nill	200
25	89	nill	विक्रम सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह	25.10.21	09.12.21	400	nill	400

26	90	nill	प्रिय देवी सुपुत्री श्री चंदेर्मणि	01.12.21	10.12.21	200	nill	200
27	90	nill	सोनी सुपुत्री श्री जोगींद्र सिंह	12.11.21	13.12.21	400	nill	400
28	90	nill	शालू सुपुत्री श्री प्रेम सिंह	08.12.21	15.12.21	200	nill	200
29	90	nill	आशीष कुमार सुपुत्र श्री राकेश कुमार	13.10.21	15.12.21	400	nill	400
30	91	nill	सुनील कुमार सुपुत्र श्री कश्मीर सिंह	07.12.21	15.12.21	200	nill	200
31	91	nill	वैशाली सुपुत्री श्री गोपाल सिंह	11.12.21	29.12.21	200	nill	200
32	91	nill	नेहा सुपुत्री श्री पवन कुमार	07.12.21	31.01.22	400	nill	400
33	91	nill	सारिका सुपुत्री श्री विजय कुमार	02.12.21	03.02.22	400	nill	400
34	92	nill	शिवानी सुपुत्री श्री गोपाल सिंह	07.02.22	17.02.22	200	nill	200

35	92	nill	हरी राम सुपुत्र श्री दलीप सिंह	06.02.22	17.02.22	200	nill	200
36	92	nill	अनिका सुपुत्री श्री चरण दास	04.02.22	18.02.22	200	nill	200
37	92	nill	आँचल सुपुत्री श्री राजकुमार	06.02.22	03.03.22	200	nill	200
38	93	nill	मोनिका देवी सुपुत्री श्री रमेश	20.02.22	03.03.22	200	nill	200
39	93	nill	प्रियंका सुपुत्री श्री प्रताप सिंह	20.02.22	19.03.22	200	nill	200
40	93	67008	बन्दना सुपुत्री स्वर्गीय श्री करम सिंह	18.02.22	24.03.22	400	200	200
41	93	67903	प्रियंका सुपुत्री श्री पुरुषोतम चंद	20.02.22	29.03.22	400	200	200
								10800

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-05 दिनांक 01.01.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा

भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नही दोहराया नही जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचातय द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना ।

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे बेडशीट,फर्नीचर,फिटिंग, प्रिंटर, कम्प्युटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था । इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमे दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 66 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी । ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा । पंचायत द्वारा उपरोक्त एप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गम्भीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-08 दिनांक 03.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत

द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशानिर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा ।

8. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹ 0.18 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 17884.76 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है है:-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
अन्य अनुदान										
1	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	**235/12.07.21**	रेत	7500	150	4.25	1.62	6.88	60	412.61
2	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी	256/24.09.21	रेत	8000	160	4.53	1.62	7.34	60	440.12

	बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी									
3	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	256/24.09.21	बजरी	7200	160	4.53	1.52	6.88	60	412.95
4	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	255/10.09.21	रेत	16000	320	9.06	1.62	14.67	60	880.24
5	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	255/10.09.21	बजरी	4500	100	2.83	1.52	4.30	60	258.10
6	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	231/20.07.21	रेत	12000	240	6.79	1.62	11.00	60	660.18
7	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	231/20.07.21	बजरी	8100	180	5.09	1.52	7.74	60	464.57
	14वां वित्त आयोग									
8	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर	170/15.10.20	रेत	22800	600	16.98	1.62	27.51	60	1650.46

	जिला मण्डी									
9	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	170/15.10.20	बजरी	22675	500	14.15	1.52	21.51	60	1290.48
10	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	171/18.10.20	बोल्डर	52500	0	42.00	2.24	94.08	60	5644.80
	मनरेगा									
11	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	01/07.02.2023	बोल्डर	4200	0	3.00	2.24	6.72	80	537.60
12	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	02/07.02.23	बोल्डर	4900	0	3.50	2.24	7.84	80	627.20
13	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	03/07.02.23	बोल्डर	2240	0	1.60	2.24	3.58	80	286.72
14	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर	04/07.02.23	बोल्डर	4900	0	3.50	2.24	7.84	80	627.20

	डाकघर बस्सी									
15	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	01/07.03.2023	बोल्डर	4200	0	3.00	2.24	6.72	80	537.60
16	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	02/07.03.23	बोल्डर	4900	0	3.50	2.24	7.84	80	627.20
17	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	03/07.03.23	बोल्डर	2240	0	1.60	2.24	3.58	80	286.72
18	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	04/07.03.23	बोल्डर	4900	0	3.50	2.24	7.84	80	627.20
19	संजीव कुमार सुपुत्र श्री लेखराज गाँव छात्तर डाकघर बस्सी	01/23.09.22	बोल्डर	12600	0	9.00	2.24	20.16	80	1612.80
										17884.76

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-12 दिनांक 04-01-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत मसौली द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 1612.75 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या / दिनांक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**कटौती की दर**	**राशि**
	मनरेगा					
1	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	**235/12.07.21**	रेत	7500	1.00%	75.00
2	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	256/24.09.21	रेत	8000	1.00%	80.00
3	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	256/24.09.21	बजरी	7200	1.00%	72.00
4	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	255/10.09.21	रेत	16000	1.00%	160.00

5	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	255/10.09.21	बजरी	4500	1.00%	45.00
6	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	231/20.07.21	रेत	12000	1.00%	120.00
7	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	231/20.07.21	बजरी	8100	1.00%	81.00
	14वां वित्त आयोग					
8	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	170/15.10.20	रेत	22800	1.00%	228.00
9	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	170/15.10.20	बजरी	22675	1.00%	226.75
10	पी एस टी ट्रेडर लक्ष्मी बाज़ार जोगिंदरनगर जिला मण्डी	171/18.10.20	बोल्डर	52500	1.00%	525.00
						1612.75

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-11 दिनांक 04.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹ 02.41 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 02.41 लाख कम व्यय करना |

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 44.07 लाख की जगह ₹ 41.66 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 02.41 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 66.11 लाख की जगह ₹ 68.52 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 02.41 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

बर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2021-22	48.1	33.33	28.86	14.77	19.24
2022-23	62.09	35.19	37.25	26.89	24.83
कुल आय	**110.19**	**68.52**	**66.11**	**41.66**	**44.07**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-07 दिनांक 02-01-2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 02.41 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा

से राशि ₹ 02.41 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा। अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा। अभिलेखों की जाँच व ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्नं तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2021-22	320	45	275	749	393	393	16576	12	165179
2022-23	389	54	335	911	375	375	16473	11	207785

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 से 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें

प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमे से केवल आंशिक कार्य ही पुरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वन के प्रति गम्भीर नहीं थे जो की नियमो की अवहेलना ही नहीं वल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या % डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-06 दिनांक 02.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया की ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉब कार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्य दिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹2.94 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹ 293880 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना सम्भव नहीं है कि उक्त बर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि
1	303/22.03.22	सामान्य निधि	बलदेव ठाकुर सरकारी ठेकेदार लक्ष्मी बाज़ार जोगिनदरनगर	जेसीबी वर्क व ट्राल्ली केरेज	64300
2	वाउचर संख्या 4 दिनांक 14.05.21	अन्य अनुदान	शेर सिंह सुपुत्र श्री खेम चंद	सामाग्री के धुलान हेतु	6572
3	296/29.06.21	अन्य अनुदान	दुर्गा स्टील इंडस्ट्री गरोरु तहसील जिगीन्द्रनगर जिला मण्डी	दरवाजा व चौखट	18000
4	वाउचर संख्या 16 दिनांक 24/09/21	अन्य अनुदान	पराशर फ़र्निचर हाउस बालक रूपी गरोरु जोगिंदरनगर जिला मण्डी	कुर्सी व टेबल	10200
5	076/23.03.22	14वां वित्त आयोग	आरुषि सीमेंट टाइल्स & ब्लॉक गाँव बालक रूपी डाकघर व तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	बेंच	50000
6	077/01.06.22	14वां वित्त आयोग	आरुषि सीमेंट टाइल्स & ब्लॉक गाँव बालक रूपी डाकघर व तहसील जोगिंदरनगर जिला मण्डी	इंटरलॉक टाइल्स	80000
7	052/06.04.22	14वां वित्त आयोग	चौधरी हार्डवेर गाँव व डाकघर चलाहर्ग जिला मण्डी	एंगल	64808
					293880

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-09 दिनांक 03-04-2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जाँच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख).पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में ₹ 0.03 लाख का अधिक भुगतान ।

हि0प्र0पंचायती राज { वित बजट लेखे, संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को दिए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को ₹2250 के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.संख्या	पदाधिकारी का नाम	वाउचर संख्या	मानदेय अवधि	भुगतान राशि	नियमानुसार भुगतान योग्य राशि	अंतर	विवरण
1	श्रीमती पारुल	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
2	श्री संजीव कुमार	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
3	श्रीमति सोनी देवी	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो

							मासिक बैठक का करना
4	श्रीमति अंजु लता	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
5	श्री श्याम सिंह	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
6	श्रीमती बबली देवी	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
7	श्री देव राज	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
8	श्रीमति अनीता देवी	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
9	श्री खजाना राम	वाउचर संख्या 12/23.09.21	फरवरी 2021 से अगस्त 2021 तक	3500	3250	250	मई 2021 में केवल 06.05.2021 को मासिक बैठक होना,परंतु भुगतान दो मासिक बैठक का करना
	कुल योग					**2250**	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-04 दिनांक 01-01-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मसौली के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु

लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मानदेय के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि को वसूल कर के पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा । अतः बिना सभा में उपस्थिति के सदस्यों को दिए गए मानदेय के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) ₹ 0.55 लाख के भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत मसौली विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी हि० प्र ० की अवधि 1.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 54996 के भुगतान बिलों/वाउचर को संबन्धित नस्ति में सलंगन नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**आपूर्तिकर्ता**	**वाउचर संख्या**	**शीर्ष**	**मद का नाम**	**टिप्पणी**	**कुल योग**
1	उल्लेख नही किया गया	वाउचर संख्या 9 दिनांक 13.09.21	सामान्य निधि	स्टेशनरी आइटम	बिल व वाउचर न दर्शाना	7780
2	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ	वाउचर संख्या 1 दिनांक 13.04.21	vkvny व अन्य अनुदान	सीमेंट की अदायगी	बिल व वाउचर न दर्शाना	6969
3	उल्लेख नही किया गया	वाउचर संख्या 2 दिनांक 27.04.21	vkvny व अन्य अनुदान	उल्लेख नही किया गया	बिल व वाउचर न दर्शाना	20630
4	उल्लेख नही किया गया	BASP/2022-23/पी/17	BASP	निर्माण सामाग्री का भुगतान	बिल व वाउचर न दर्शाना	11879
5	हिमाचल प्रदेश	BASP/2022-23/पी/18	BASP	सीमेंट की अदायगी	बिल व वाउचर न	7738

	सिविल सप्लाइ				दर्शाना	
						54996

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-10 दिनांक 03-01-2024 ग्राम पंचायत मसौली के सचिव के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं था । अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) मनरेगा निधि से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत मसौली के अवधि 01-04-21 से 31-03-2023 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के व्यय वाउचरो की जाँच में पाया गया कि मनरेगा निधि से चयनित माह 02/22 तथा 3/23 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था । जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका संख्या 26124 व 12078 को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था ।अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपलना से अवगत करवाया जाए ।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था । इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 20·3·24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

1532– 1536 का०/50 21 MAR 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(11) 146/2023 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि०प्र०।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि०प्र०।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मसौली, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि०प्र० को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

21 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 20·3·24
सहायक निदेशक
हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का०/50

प्रश्न संख्या – 4(i)
परिशिष्ट – (क)

21

Financial position of Own Sources & 5th state of Gram Panchyat Massauli

Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	411570.62	349554	761124.62	607163	153961.62
2022-23	153961.62	455658.78	609620.4	427804	181816.4

G.P. Massauli
Development Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

20

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ट - (ख)

22

Financial position of grant in aids of Gram Panchyat Massauli					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	1800912.5	1500	1802412.5	546382	1256030.5
2022-23	1256030.5	777931	2033961.5	261209	1772752.5

Secretary
G.P. Massoli
Development Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

31

पैरा संख्या – 5(iii)

परिशिष्ट – (ग)

Financial position of 14 th FCof Gram Panchyat Massauli					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	572083.44	7112	579195.44	165568	413627.44
2022-23	413627.44	11728	425355.44	286026	139329.44

Block Drang

Distt. Mandi (H.P.)

पो० संख्या - 4(iv)
परिशिष्ठ -(घ)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat Massauli					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	769724	2146029	2915753	0	2915753
2022-23	2915753	2216643	5132396	1065761.3	4066634.7

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	4066634.7		
less: income from grants of Rs 764212 added in cash book on dated 17.02.2022 of but not entered in pass book on dated 17.02.2022	764212		
less:-interest of Rs 5512 taken in cash book on dated 17.02.2023,but not taken in pass book on dated 17.02.2023	5512		
add:- interst of Rs 16228 taken in pass book on dated 01.10.21, but not taken in cash book,interst of Rs 15995 taken in pass book on dated 01.01.22, but not taken in cash book,interst of Rs 17977 taken in pass book on dated 12.07.22, but not taken in cash book,interst of Rs 21127 taken in pass book on dated 01.10.22, but not taken in cash book,interst of Rs 22815 taken in pass book on dated 01.01.23, but not taken in cash book	94142		3391052.7
Balance as per Pass book			3391052.7
Net Difference			nill

Secretary
G.P. Mas...
Development Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)

33

पैरा संख्या - 6(क)

परिशिष्ठ -(ङ)

ग्राम पंचायत मसोली विकास खंड द्रंग जिला मंडी हि प्र .सम्पति कर से सम्बंधित रिपोर्ट

क्र संख्या	वर्ष	कुल परिवार	आरंभिक शेष	मांग	कुल राशि	प्राप्त राशि	शेष राशि
1	2021-22	1093	103500.00	54650.00	158150.00	------	158150.00
2	2022-23	1115	158150.00	55750.00	213900.00	-----	213900.00

Secretary
G.P. Masoli
Development Block Drang
Distt. Mandi (H.P.)